न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ—बास जिला अलवर (राज0)

(प्रशासन गॉवो के संग अभियान ग्रा0प0 मुख्यालय ~~तहनोली~~) लंगडबास

अध्यासित द्वारा :— श्री ओमप्रकाश सहारण (आर.ए.एस.)

दावा सं.	प्रवेश तिथि	निर्णय तिथि
120 / 18	14.9.18	27.12.21

उनवान

1. रणजीतपुत्र सूरजभान
2. सुमेर पुत्र सूरजभान
3. मदनलाल पुत्र सूरजभान
4. सतीश पुत्र सूरजभान
5. निशा पुत्री बाबूलाल जाति अहीरान निवासी ग्राम लंगडबास तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज0।

:— वादीगण:—

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढबास जिला अलवर राजस्थान

:—प्रतिवादी:—

दावा इश्तकराहक मय दुरूस्ती इन्द्राज

निर्णय

दावे के सुक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार है।आराजी हाल ख0न0 631 रकबा 0.08 हे0 गै0मु0 रास्ता व आराजी ख0न0632 रकबा 0.24 हे0 वाके ग्राम लंगडबास तहसील किशनगढबास में स्थित है। जिसमें आराजी ख0न0 632 रकबा 0.24 हे0 वाके ग्राम लगडबास हमारी कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। यह आराजी उक्त वाद में विवादित आराजी कहलावेगी। आराजी विवादित आराजी खरीदशुद्वा कब्जे काश्त की खातेदारी की आराजी है जिसको जरिये बयनामा नारायणी बेवाह माघोसिह से खरीद की है। जिसका समस्त कागजात माल में हमारे नाम का अमल हो रहा है तथा ख0 न0 631 रकबा 0.08 हे0 गै0मु0 रास्ता है। जो सही है। लेकिन भू—प्रबधक विभाग के कर्मचारियो ने एक्स पर्चा बनाते समय आराजी ख0न0 632 गै0मु0 रास्ता दर्ज कर दिया जो खिलाफ मौका व खिलाफ रिकार्ड है। बाबूलाल पुत्र सूरजभान फौत हो गया जिसका वारिस वादी सं0 5 है। मौके पर आराजी ख0न0 632 रकबा 0.24 हे0 हमारे खेत खातेदारी का मौजूदा है तथा मौके पर आराजी ख0न0 631 गै0मु0 रास्ता दर्ज है। जो मुताबिक रिकार्ड व मौका सही है। तथा इसी कदन दर्ज रिकार्ड किया जावे। उक्त रिकार्ड की जानकारी पटवारी हल्का से नकल जमाबंदी ली तो जानकारी हुई समस्त रिकार्ड कागजात लेकर पटवारी हल्का तहसीलदार किशनगढबास से दुरूस्त करने को कहा लेकिन उन्होने न्यायालय में दावा दर्ज करने के लिए कहा।उक्त रिकार्ड से हमारे हकूक वादीगण के खिलाफ है इसलिए दुरूस्त करवाया जाना निहायत आवश्यक है।

दावा इश्तकरारहक दुरूस्ती इन्द्राज का है इसलिए दावा हाजा में राजस्थान सरकार आवश्यक फरीक है। जिसको 80 सीपीसी का नोटिस देना आवश्यक है लेकिन दावा अर्जेन्ट है प्रार्थना पत्र पृथक से दिया जा रहा ।

अतः दावा बाबत प्रार्थना निम्न :–

अ– यह है कि आराजी ख0न0 631 रकबा 0.08 गै0मु0रास्ता व आराजी ख0न0 632 रकबा 0.24 हे0 वाके ग्राम लंगडबास तहसील किशनगढबास स्थित है जो ख0न0 632 रकबा 0.24 हे0 हमारी खातेदारी की आराजी है, जमाबंदीया तमे सही है लेकिन एक्स पर्चा नक्शा में गै0मु0 रास्ता दर्ज कर दी इसी तरह आराजी ख0न0 631 रकबा 0.08 हे0 गै0 मु0 रास्ता है। रिकार्ड में सही है लेकिन एक्स पर्चा नक्शा हमारी खातेदारी दर्ज कर दी। जिसको दुरूस्त कर एक्सा पर्चा नक्शा में आराजी ख0न0 631 रकबा 0.08 हे0 दर्ज किया जावे तथा आराजी ख0न0 632 रकबा 0.24 हे0 एक्सा पर्चा में हमारी खातेदारी दर्ज की जावे। इसी तरह नक्शा दुरूस्त किया जावे।

ब–अनुतोष

स– अन्य दीगर दादरसी जो अदालत श्रीमान मुनासिब समझे वादी का अता फरमाई जावे।

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरयै नोटिस सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी अनुपस्थित ओर ना ही जवाब दिया।

आज पत्रावली प्रशासन गांवो के संग कैम्प मे प्रस्तुत हुई वादी उपस्थित वादी ने कैम्प में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया । प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त की गई । तहसीलदार ने पटवारी हल्का लगडबास से जांच के आदेश दिये।रिर्पोट पटवारी हल्का अनुसार हाल ख0न0 632 ग्राम लंगडबास मे मुताबिक जमाबंदी के खाता न0 278 में प्रार्थी के नाम हिस्सा अनुसार खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। उक्त आराजी पर काश्त की जा रही है। परन्तु मौक पर ऑनलाईन नक्शा मे गै0मु0 रास्ता दर्ज श्यो हो रहा है। तथा ख0न0 631 गै0 मु0 रास्ता है। मौके के अनुसार ख0न0 632 के स्थान पर ख0न0 631 तथा 631 के स्थान पर ख0न0 632 दर्ज होना है। जबकि जमाबंदी का इन्द्राज सही है। प्रकरण नक्शा दुरूस्ती का है।

हमने पटवारी हल्का रिपोर्ट का अवलोकन किया तथा दावा में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया । पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सवंत 2029 में आराजी ख0 नं0 632 बारानी दोयम दर्ज है, तथा खतौनी बंदोबस्त में ख0न0 631 गै0मु0 रास्ता दर्ज रिकार्ड है। मिलान क्षेत्रफल में ख0 न0 का मिलान सही है। नक्शा एक्स में भी ख0न0 631 की जगह 632 में गै0मु0 रास्ता दर्ज रिकार्ड है। एवं पैमाना सम्वत 1978 में साबिक ख0न0 605 में गै0मु0 रास्ता दर्ज रिकार्ड है, हाल जमांबदी संवत 2069 में भी ख0 नं0 631 रकबा 0.0800 हे0 गै0मुं0 रास्ता दर्ज रिकार्ड तथा ख0 632 रकबा 0.24 हे0, बारानी दर्ज रिकार्ड है। जिससे साबित होता है कि एक्स पर्चा में आराजी ख0न0 631 की जगह 632 गै0मु0 रास्ता दर्ज है जिसको दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। न्याय एवं विधि का सिद्वांत भी यही है।

अतः आदेश है कि:—

वाद वादीगण विरूद्व प्रतिवादी डिक्री किया जाकर आदेशित किया जाता है हाल आराजी ख0न0 632 वाके ग्राम लंगडबास तहसील किशनगढबास के एक्सपर्चा नक्शा में गै0मु0 रास्ता दर्ज हो रहा है उसे कलमजन किया जाकर उसके स्थान पर नक्शा एक्स पर्चा में ख0न0 631 रकबा 0.08 हे0 गै0मु0 रास्ता दर्ज किया जावे। इसी तरह एक्स पर्चा नक्शा में दुरूस्त किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हों पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल लेख भण्डार रहे।

(ओम प्रकाश सहारण)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास(अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ–बास जिला अलवर (राज0)

(प्रशासन गॉवो के संग अभियान ग्रा0प0 मुख्यालय लंगडबास)

अध्यासित द्वारा :– श्री ओमप्रकाश सहारण (आर.ए.एस.)

दावा सं.	प्रवेश तिथि	निर्णय तिथि
120/18	14.9.18	27.12.21

उनवान

1. रणजीत पुत्र सूरजभान
2. सुमेर पुत्र सूरजभान
3. मदनलाल पुत्र सूरजभान
4. सतीश पुत्र सूरजभान
5. निशा पुत्री बाबूलाल जाति अहीरान निवासी ग्राम लंगडबास तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज0।

:– वादीगण:–

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढबास जिला अलवर राजस्थान

:–प्रतिवादी:–

दावा इश्तकराहक मय दुरूस्ती इन्द्राज

पर्चा डिक्री

वाद वादीगण विरूद्व प्रतिवादी डिक्री किया जाकर आदेशित किया जाता है हाल आराजी ख0न0 632 वाके ग्राम लंगडबास तहसील किशनगढबास के एक्सपर्चा नक्शा में गै0मु0 रास्ता दर्ज हो रहा है उसे कलमजन किया जाकर उसके स्थान पर नक्शा एक्स पर्चा में ख0न0 631 रकबा 0.08 हे0 गै0मु0 रास्ता दर्ज किया जावे। इसी तरह एक्स पर्चा नक्शा में दुरूस्त किया जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल लेख भण्डार रहे।

(ओम प्रकाश सहारण)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास(अलवर)